

कार्यालय  
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com  
पत्रांक 377 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 19-7-2023

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय - जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी लिंक मोटर मार्गद्द निर्माण हेतु 4.286 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विभाग विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या 33105/2018)

सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक 8बी०/यू०सी०पी०/०६/६२/२०१९/एफ०सी०/१११० दिनांक ११.११.२०२२।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 22.06.2023 को विषयक मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि -

"मोटर मार्ग निर्माण कार्य से पूर्व छपान किये गये संरक्षण के अनुसार ही मोटर मार्ग निर्माण कार्य किया गया है, परन्तु प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर त्रुटिवश गलत के०एम०एल० फाईल आपलोड किये जाने के सम्बन्ध में बताया गया है। मौके पर उपस्थित वन विभाग व प्रस्तावक विभाग के कर्मचारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में प्रभावित वृक्षों के सापेक्ष ही स्वीकृत संरक्षण में वृक्षों का छपान कार्य किया गया था व वन निगम द्वारा भी प्रस्ताव में प्रभावित कुल वृक्ष 169 का पातन किया गया, जिसमें से 51 वृक्ष वन भूमि पर प्रभावित हो रहे थे। प्रस्तावक विभाग द्वारा मौके पर संरक्षण परिवर्तन नहीं किया गया है जिससे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं होना पाया गया।"

अतः उपरोक्त क्रम में प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-वन निगम द्वारा पातन किये गये लौट का त्याग पत्र।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 377 / 12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय वनाधिकारी,

अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

o/c